



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-16022026-270178
CG-WB-E-16022026-270178

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 545]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 5, 2026/माघ 16, 1947

No. 545]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 5, 2026/MAGHA 16, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण पूर्व रेलवे)
(सड़क सुरक्षा परियोजना संगठन)

अधिसूचना

कोलकाता, 4 फरवरी, 2026

का.आ. 574(अ) .—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित राज्य के नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में यथा-उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के रूप में निम्नलिखित परियोजनाओं को अधिसूचित करती है।

सारणी

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
(1)	(2)	(3)
1.	ओडिशा राज्य के बालासोर जिले में अमर्दा- बस्ता स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग संख्या 60 के स्थान पर रोड ओवरब्रिज (ROB) का निर्माण।	ओडिशा

2.	ओडिशा राज्य के बालासोर जिले में बस्ता- रूपसा स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग संख्या 61 के स्थान पर रोड ओवरब्रिज (ROB) का निर्माण।	ओडिशा
3.	ओडिशा राज्य के बालासोर जिले में सोरो- मरकोना स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग संख्या 106 के स्थान पर रोड ओवरब्रिज (ROB) का निर्माण।	ओडिशा
4.	ओडिशा राज्य के बालासोर जिले में सोरो- मरकोना स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग संख्या 110 के स्थान पर रोड ओवरब्रिज (ROB) का निर्माण।	ओडिशा
5.	ओडिशा राज्य के भद्रक जिले में रानीताल- भद्रक स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग संख्या 115 के स्थान पर रोड ओवरब्रिज (ROB) का निर्माण।	ओडिशा
6.	ओडिशा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में तंगरमुंडा- धुत्रा स्टेशन के बीच बामरा यार्डिन में लेवल क्रॉसिंग संख्या 239 एवं एलसी संख्या 240 पर एफओबी के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज (ROB) का निर्माण।	ओडिशा
7.	ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में धुत्रा- झारसुगुड़ा स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग संख्या 256 के स्थान पर दो लेन वाले ओवरब्रिज (ROB) का निर्माण।	ओडिशा
8.	ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में बारीपाड़ा- भंजपुर स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग संख्या आरबी-36 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज (ROB) का निर्माण।	ओडिशा

[फा. सं. दपूरे/निर्माण/ सड़क सुरक्षा परियोजना संगठन /मुख्यालय/ आरओबी/ भूमि अधिग्रहण/एसआरपी/1]

अनिल कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)/आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS
(South Eastern Railway)
(ROAD SAFETY PROJECT ORGANIZATION)

NOTIFICATION

Kolkata, the 4th February, 2026

S.O. 574(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of section 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby notifies the following projects as Special Railway Project, as mentioned in column (2) of the Table below in the State mentioned in column (3) of the Table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Sl. No.	Name of Projects	State/Union Territory
(1)	(2)	(3)
1	Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of Level Crossing No.60 in between station Amarda- Basta, in the District Balasore of Odisha.	Odisha
2	Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of Level crossing No.61 in between station Basta- Rupsa, in the District Balasore of Odisha.	Odisha
3	Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of Level Crossing No.106 in between Station Soro-Markona, in the District Balasore of Odisha.	Odisha
4	Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of Level crossing no.110 in between Station Soro-Markona, in the District Balasore of Odisha.	Odisha
5	Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of Level Crossing No.115 in between Station Ranital-Bhadrak, in the District Bhadrak of Odisha.	Odisha
6	Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of Level Crossing No. 239 & FOB at LC	Odisha

	No.240 in Bamra Yard in between station Tangarmunda- Dhutra in the District of Sundargarh of Odisha.	
7	Construction of 2-lane Road Over Bridge (ROB) in lieu of level crossing No.256 in between Station Dhutra- Jharsuguda in the District Mayurbhanj of Odisha.	Odisha
8	Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of Level Crossing No.-RB-36 in between station Baripada- Bhanjpur, in the District Mayurbhanj of Odisha.	Odisha

[F. No. SER/Con/RSP/HQ/ROBs/Land Acquisition/SRP/1]

ANIL KUMAR, Chief Admin Officer (Con)/RSP

अधिसूचना

कोलकाता, 4 फरवरी, 2026

का.आ. 575(अ) .—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित राज्य के नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में यथा-उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के रूप में निम्नलिखित परियोजना को अधिसूचित करती है।

सारणी

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
(1)	(2)	(3)
1.	पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व मेदिनीपुर जिले में हाउर-खिराई रेल स्टेशन के बीच लेबल क्रॉसिंग संख्या 49 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण।	पश्चिम बंगाल

[फा. सं. दपूरे/निर्माण/ सड़क सुरक्षा परियोजना संगठन /मुख्यालय/ आरओबी/ भूमि अधिग्रहण/एसआरपी/1]

अनिल कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)/आरएसपी

NOTIFICATION

Kolkata, the 4th February, 2026

S.O. 575(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of section 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby notifies the following project as Special Railway Project, as mentioned in column (2) of the Table below in the State mentioned in column (3) of the Table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Sl. No.	Name of Project	State/Union Territory
(1)	(2)	(3)
1	Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of Level Crossing No.49 in between railway Station Haur -Khirai in the District Purba Medinipur of West Bengal.	West Bengal

[F. No. SER/Con/RSP/HQ/ROBs/Land Acquisition/SRP/1]

ANIL KUMAR, Chief Admin Officer (Con)/RSP